RAEBARELI POLICE

दिनांक 18 अगस्त 2021 **थाना कोतवाली नगर**

गैगेस्टर अधिनियम का वाँछित व 15,000/- रूपये का इनामिया अभियुक्त अवैध शस्त्र-कारतूस के साथ गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के कुशल नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत आज दिनांक 18 अगस्त 2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिरखास की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-239/2021 धारा-3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम का वाँछित तथा 15,000/- रूपये का इनामिया अभियुक्त मोनिस उर्फ बाला पुत्र सैय्यद ताजुद्दीन निवासी अलीनगर कहारों का अड्डा थाना कोतवाली नगर रायबरेली (मूल पता 13/27 8ब्लाक खोर हरदासपुर थाना मिलएरिया रायबरेली) को 01 अदद तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ थानाक्षेत्र के बड़ाला मस्जिद के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। जिसके विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-478/2021 धारा-3/25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

मोनिस उर्फ बाला पुत्र सैय्यद ताजुद्दीन निवासी अलीनगर कहारों का अड्डा थाना कोतवाली नगर रायबरेली (मूल पता 13/27 8ब्लाक खोर हरदासपुर थाना मिलएरिया रायबरेली)।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त मोनिस उर्फ बाला -

- मुकदमा अपराध संख्या-230/2020 धारा-147,148,323,504,506,308 भादवि थाना डलमऊ रायबरेली
- मुकदमा अपराध संख्या-240/2021 धारा-147,308 भादवि थाना कोतवाली नगर रायबरेली।
- मुकदमा अपराध संख्या-239/2021 धारा-3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम थाना कोतवाली नगर रायबरेली।
- मुकदमा अपराध संख्या-478/2021 धारा-3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली नगर रायबरेली।

बरामदगी-

- 01 अदद तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उप-निरीक्षक श्री प्रवीर गौतम थाना कोतवाली नगर रायबरेली।
2. आरक्षी श्री मनीष कुमार थाना कोतवाली नगर रायबरेली।
3. आरक्षी श्री कीर्ति कुमार थाना कोतवाली नगर रायबरेली।